N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0248 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/11/2024 19:15 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 04/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:05 बजे **Time To (समय तक):** 11:49 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/11/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/11/2024 19:15:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 20 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** SHAKHA BADA NAYA GON, PARISAR STATE BANK OF INDIA, DISTRICT BUNDI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHENDRA SINGH MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PHOOLCHAND MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	FALENDA, HINDOLI, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	FALENDA, HINDOLI, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LALIT KUMAR PARASHAR		पिता:GANPAT PARASHAR	1. SILOR,Sadar Bundi,BUNDI,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 18.09.2024 को समय 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा पुत्र फूलचन्द मीणा उम्र 24, निवासी फालेन्डा, ग्राम पंचायत देवजी का थाना, थाना हिण्डोली जिला बून्दी ने उपस्थित कार्यालय होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि " मै प्रार्थी महेन्द्र सिंह मीणा निवासी फालेण्डा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी का हूं। मैनें एसबीआई बैंक बडा नयागांव शाखा में पिताजी फूलचन्द मीणा के नाम से 18-20 बीघा जमीन पर किसान समृद्वि ऋण (के.एस.आर.) के लिए आवेदन किया था। वहां बैंक जाकर बैंक कर्मचारी ललित द्वारा 15 लाख रूपये का लोन पास करवाने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। मै उक्त कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता व उक्त कर्मचारी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी ने पूछताछ पर बताया कि उक्त भूमि मेरे पिताजी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है, जिस पर किसान समृद्वि ऋण योजना के तहत लोन लेने के लिए सारी दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रावली चेतराम मीणा के माध्यम से मैने एसबीआई की शाखा बडा नयागांव के श्री ललित बैंक कर्मचारी के पास जमा करवा दी है। मै ललित से मिला तो उसने स्वयं को बैंक का कर्मचारी होना बताया है तथा हमारी जमीन पर 15 लाख रूपये तक का लोन स्वीकृत करवाने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की है। परन्तु आरोपी ललित उक्त रिश्वत, लोन स्वीकृत होकर खाते में जमा होने के उपरान्त ही प्राप्त करेंगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से परिवादी को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन की विधि से अवगत कराया गया तथा कार्यालय में पदस्थापित कानिस्टेबल श्री रामसिहं से परिचय करवाया गया। परिवादी ने अवगत कराया कि आज मेरे आवश्यक कार्य है, आईन्दा आरोपी का पता लगाकर आपको अवगत करा दूंगा। परिवादी के कथनानुसार उक्त दिनांक को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन सम्भव नही होना पाया गया। अतः परिवादी को गोपनीयता की हिदायत दी गई एवं आरोपी के पास रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता हेतु जाने से पूर्व कानिस्टेबल रामसिहं को अवगत करानें के निर्देश देकर रवाना किया गया। दिनांक 19.09.2024 को परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा द्वारा जर्ये मोबाईल दी गई सूचना के आधार पर श्री रामसिंह कानि. 78 को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु मोटर साईकिल से बडा नयागांव़ के लिए रवाना किया गया। श्री रामसिंह कानि. 78 मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चौकी हाजा उपस्थित आया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पेश कर अवगत कराया कि " मैने निर्देशानुसार परिवादी के मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया एवं परिवादी से हुई वार्ता के अनुसार कस्बा बडा नयागांव़ पहुचा। जहॉ परिवादी महेन्द्र सिंह मीणा उपस्थित मिला। जहॉ से परिवादी को साथ लेकर मोटर साईकिल से एसबीआई बैंक शाखा बडा नयागांव के पास पहुचा। जहॉ परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू एवं सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु आरोपी ललित बैंक कर्मचारी के पास रवाना किया। मैं वहॉ से थोडी दूरी पर गोपनीयता रखते हुये मुकिम रहा। करीब 08 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया और बताया कि मेरी बैंक कर्मचारी ललित जी से वार्ता हो गई है। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्ड लेकर उसे बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने बताया कि वह हमारी जमीन पर किसान समृद्वि ऋण स्वीकृत करवाने की एवज में रिश्वत मांगने के लिए सहमत हो गया है। परन्तु वह रिश्वत की राशि खाते में लोन जमा होने के पश्चात ही प्राप्त करेंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत दी गई एवं रवाना होकर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के कस्बा बडा नयागांव से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुचा। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश करने पर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से उसकी जमीन पर किसान समृद्वि ऋण स्वीकृत करवाने की एवज में रिश्वत मांगने सम्बन्धित वार्ता का होना पाया गया है। परन्तु रिश्वत मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट तथ्यों का अभाव होना पाया जाने से पुनः गोपनीय सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 28.10.2024 को परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा द्वारा जर्ये मोबाईल दी गई सूचना के आधार पर श्री रामसिंह कानि. 78 को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक प्रेम प्रकाश को ग्राम देवजी का थाना रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि. 78 व प्रेम प्रकाश

चालक मय सरकारी वाहन बोलेरो मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चौकी हाजा उपस्थित आये तथा रामसिहं कानि ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पेश कर अवगत कराया कि " मैने निर्देशानुसार परिवादी के मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया एवं परिवादी से हुई वार्ता के अनुसार ग्राम देवजी का थाना० पहुचा। जहॉ परिवादी महेन्द्र सिंह मीणा उपस्थित मिला। जहॉ परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू एवं सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु आरोपी ललित बैंक कर्मचारी के पास रवाना किया। मैं वहॉ से थोडी दूरी पर गोपनीयता रखते हुये मुकिम रहा। करीब 14 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया और डीवीआर सुपुर्द कर बताया कि मेरी बैंक कर्मचारी ललित जी से वार्ता हो गई है। उसने मुझसे हमारे स्वीकृतशुदा लोन की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की है। मेरे द्वारा राशि को कम करने का निवेदन करने पर भी वह 20 हजार रूपये लेने पर ही अडा रहा तथा यह भी बातचीत हुई कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बताये अनुसार व्यक्ति को 20 हजार रूपये दे देना। हमारे बीच जो भी बातचीत हुई है वह सारी बातचीत डीवीआर में रिकोर्ड है। इस पर परिवादी को मौके पर छोडकर मय सरकारी वाहन से कार्यालय आया। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश करने पर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से उसकी जमीन पर किसान समृद्वि ऋण स्वीकृत करवाने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत मांगने सम्बन्धित वार्ता का होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। आईन्दा परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित करने पर स्वतंत्र गवाह तलब कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। दिनांक 30.10.2024 को पाबन्दशुदा परिवादी उपस्थित कार्यालय आया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि आरोपी कभी भी मेरे पास रिश्वत प्राप्त करने के लिए फोन कर सकता है, मै रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर चुका हूं। परिवादी द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों के आधार पर ट्रेप की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र गवाहान तलबी हेतु कानि राम सिहं को तहरीर दी जाकर कार्यालय उपवन संरक्षक बून्दी रवाना किया गया । रवानाशुदा राम सिहं कानि उपस्थित कार्यालय आया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि ट्रेप की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय उपवन संरक्षक बून्दी पहुंच कर तहरीर पेश की जिस पर दो गवाह श्री शुभम रावत वनरक्षक व भरत लाल गुर्जर को पाबन्द करने पर हमराह साथ लेकर कार्यालय आया। कार्यालय में उपस्थित परिवादी का परिचय स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया, स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2024 पढकर सुनाया। गवाहान ने प्रार्थना पत्र पढने के पश्चात कार्यवाही में बतौर गवाह शामिल होने की मौखिक सहमति व्यक्त कर प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी ने अवगत कराया कि आज आरोपी का मेरे पास फोन नही आया है, मेरे आगे से फोन करने पर आरोपी को शक होने की सम्भावना है। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर उक्त दिनांक को ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही होने से परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पत्रावली श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मय डिजीटल वाइस रिकोर्डर मय मूल मैमोरी कार्ड के मन ज्ञानचन्द उप पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की गई। मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2024 में अंकित तथ्यों एवं गोपनीय सत्यापन दिनांक 19.09.2024 एवं 28.10.2024 की रिकोर्ड वार्ताओं के आधार पर आरोपी ललित कुमार बैंक कर्मचारी एसबीआई शाखा बडा नयागांव जिला बून्दी द्वारा परिवादी महेन्द्र सिंह मीणा से उसके पिता के नाम दर्ज भूमि पर किसान समृद्वि ऋण स्वीकृत कराने की एवज में 20 हजार रूपये मांग करने की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया। प्रकरण में पाबन्दशुदा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह चौकी हाजा पर उपस्थित मिले। मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी महेन्द्र सिहं मीणा से पूछताछ की तो शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2024 स्वयं द्वारा लिखित एवं प्रस्तुत करना स्वीकार किया एवं रिकोर्ड वार्ताओं में एक आवाज स्वयं की एवं अन्य आवाज आरोपी ललित कुमार की होना बताया। अतः प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना तय किया गया। उपरोक्त पाबन्दशुदा गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा पुत्र श्री फूलचन्द मीणा उम्र 24 साल निवासी फालेण्डा ग्राम पोस्ट देवजी का थाना थाना हिण्डोली जिला बून्दी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये मन उप अधीक्षक ज्ञानचन्द मीणा के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण uksV dk uEcj 1 एक नोट पांच सौ रूपये 5GS714003 2 एक नोट पांच सौ रूपये 1CF740871 3 एक नोट पांच सौ रूपये 5ES608412 4 एक नोट पांच सौ रूपये 8BS259405 5 एक नोट पांच सौ रूपये 8FB962482 6 एक नोट पांच सौ रूपये 6LB471372 7 एक नोट पांच सौ रूपये 4GW651399 8 एक नोट पांच सौ रूपये 9LV142808 9 एक नोट पांच सौ रूपये 9MP744778 10 एक नोट पांच सौ रूपये 9AD887357 11 एक नोट पांच सौ रूपये 9RW713688 12 एक नोट पांच सौ रूपये 0SE236697 13 एक नोट पांच सौ रूपये 6EQ800330 14 एक नोट पांच सौ रूपये 9MC988945 15 एक नोट पांच सौ रूपये 1NM528925 16 एक नोट पांच सौ रूपये 0FP610239 17 एक नोट पांच सौ रूपये 4GB666187 18 एक नोट पांच सौ रूपये 6SV982071 19 एक नोट पांच सौ रूपये 1LQ358097 20 एक नोट पांच सौ रूपये 7TP159449 21 एक नोट पांच सौ रूपये 0ED596836 22 एक नोट पांच सौ रूपये 2DF952285 23 एक नोट पांच सौ रूपये 8GD438145 24 एक नोट पांच सौ रूपये 7FE853162 25 एक नोट पांच सौ रूपये 3WV999467 26 एक नोट पांच सौ रूपये

3MU005440 27 एक नोट पांच सौ रूपये 5LF373908 28 एक नोट पांच सौ रूपये 6VE405191 29 एक नोट पांच सौ रूपये 4LQ621878 30 एक नोट पांच सौ रूपये 9QQ858461 31 एक नोट पांच सौ रूपये 7GT529532 32 एक नोट पांच सौ रूपये 4PR434132 33 एक नोट पांच सौ रूपये 0DL840085 34 एक नोट पांच सौ रूपये 4DW857485 35 एक नोट पांच सौ रूपये 1DV844514 36 एक नोट पांच सौ रूपये 4KS720617 37 एक नोट पांच सौ रूपये 5HN440711 38 एक नोट पांच सौ रूपये 4UG428423 39 एक नोट पांच सौ रूपये 4MF615686 40 एक नोट पांच सौ रूपये 2BW143439 उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा मन् उप अधीक्षक के चेम्बर की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री शुभम रावत से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा के पहनी हुयी पेन्ट की साईड की बायीं जेब में उक्त फिनोप्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से रखवाये गये। तत्पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री ईस्माईल अंसारी सउनि की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उस अखबार को जलवाया गया। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक, परिवादी, गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्कन व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाया गया। परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल करें अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात परिवादी महेन्द्र सिहं मीणा को ट्रेप कार्यवाही के क्रम में उसकी मोटर साईकिल से बडा नयागांव रवाना किया गया तथा सरकारी वाहन बोलेरो में श्री देवेन्द्र सिहं हैड कानि मय जाप्ता श्री रामसिहं कानि, श्री मनोज कानि एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री शुभम रावत, श्री भरत लाल मय चालक श्री प्रेम प्रकाश के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, ईयरफोन एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के साथ रवाना कर पीछे पीछे प्राइवेट वाहन में मन उप अधीक्षक पुलिस, मय जाप्ता श्री विक्रम सिहं कानि.,श्रीमती टिंकू कंवर व श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि के कस्बा बडा नयागांव रवाना हुआ। मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राइवेट वाहन से एसबीआई बैंक शाखा बडा नयागांव के पहले आम रोड पर पहुचें, जहां परिवादी महेन्द्र सिहं मीणा को डिजीटल वाइस रिकार्डर देकर एसबीआई बैंक शाखा परिसर बडा नयागांव में आरोपी कर्मचारी के पास रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना किया तथा श्री राम सिंह कानि. 78 व श्री मनोज कुमार कानि. 452 को परिवादी से कुछ दूरी पर मुकीम रहकर निगरानी करने के निर्देश देकर रवाना किया तथा श्री देवेन्द्र सिहं हैड कानि 106 मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के सरकारी वाहन बोलेरो एवं दुसरे प्राइवेट वाहन में मन् उप अधीक्षक पुलिस, एवं एसीबी जाप्ता श्री विक्रम सिहं कानि 72, श्रीमती टिंक कवंर महिला कानि. 474 एवं श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 के कस्बा बडा नयागांव में अपनी उपस्थिति छुपाते हुये रोड पर साइड में परिवादी के इशारे/सूचना की प्रतीक्षा में मुकीम रहे तथा कार्यवाही की विडियोंग्राफी हेतु श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि को निर्देशित किया गया। समय 11.49 ए.एम. पर श्री मनोज कानि. 452 से मन् उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर मनोज कानि द्वारा मन पुलिस उप अधीक्षक को आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में सूचित किया गया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आस पास मुकीम ब्यूरो टीम मय स्वतंत्र गवाह को एकत्रित कर मय वाहनो के बडा नया गांव के पास स्थित बून्दी हिण्डोली राजमार्ग से रवाना होकर स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा बडा नया गांव के बाहर पहुंचे, जहां पर परिवादी महेन्द्र सिंह मीणा उपस्थित मिला जिसनें मन पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि आरोपी ललित कुमार बैंककर्मी द्वारा मेरे से बैंक के बाहर आकर 20 हजार रूपये रिश्वत प्राप्त कर ली है तथा उसको मेरे साथ

आये एसीबी के कर्मचारी राम सिहं एवं मनोज द्वारा डिटेन किया गया है, रिश्वत लेने देन के दौरान हम दोनो के बीच जो भी वार्ता हुई है वह डिजीटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड है, जिसको मैने बन्द करके राम सिहं को सिपुर्द कर दिया है। उक्त सूचना पर परिवादी को साथ लेकर बैंक परिसर के बगल में खाली जमीन के किनारे पर गये जहां पर दीवार की आड में कानि रामसिंह एवं मनोज द्वारा आरोपी को डिटेन किया हुआ था। डिटेनशुदा व्यक्ति से मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा नाम पता पूछा तो स्वयं का नाम ललित कुमार पाराशर पुत्र श्री गणपत पाराशर उम्र 24 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी सिलोर थाना सदर जिला बून्दी हाल फील्ड ऑफिसर ऑन साईट (एफ ओ एस) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बडा नया गांव जिला बून्दी का होना बताया, जिस पर आरोपी ललित कुमार से परिवादी महेन्द्र सिंह मीणा से प्राप्त 20 हजार रूपये रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि महेन्द्र के पिताजी फूलचन्द जी के नाम कृषि भूमि पर (के.एस.आर.) किसान समृद्वि ऋण के लिए आवेदन किया था, इसके बाद लोन पत्रावली तैयार की गई एवं आवेदक फूलचन्द की आयु अधिक होने से उनके पुत्र महेन्द्र को लोन का गारन्टर नियुक्त किया गया। इसके बाद दीपावली के एक दो दिन पहले करीब 08 लाख रूपये का के. एस.आर. लोन स्वीकृत होकर इनके खाते में जमा हो चुका है। मैनें गलती से महेन्द्र से 20 हजार रूपये मांग कर प्राप्त किये है, जिसकी माफी चाहता हूं और मेरे द्वारा प्राप्त किये 20 हजार रूपये मेरे हाथ में है। आरोपी ललित कुमार द्वारा पूछताछ में परिवादी महेन्द्र सिंह से 20 हजार रूपये रिश्वत प्राप्त करना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी के दाहिनें हाथ में मौजूद 500-500 रूपये के नोटों को स्वतंत्र गवाह भरत लाल गुर्जर वनरक्षक से लिवाया जाकर गिनती करवाई गई तो 500-500 रूपये के 40 नोट, कुल राशि 20 हजार रूपये होना पाया गया। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो गवाहो से फर्द पेशकशी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरां से हु ब हु मिलान होना पाया गया। उक्त नोट रिश्वती राशि के नोट होना पाया जाने से उक्त नोटो का विवरण अंकित कर एक लिफाफे में रखवाया जाकर श्री देवेन्द्र सिहं हैड कानि 106 को सुपुर्द किये गये तत्पश्चात आरोपी ललित कुमार के हाथों का धोवन लिया जाने आवश्यक होने से साफ पानी की बोतल मंगवाकर दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी ललित कुमार के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा-आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच-1, एल.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी ललित कुमार के दायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर कार्यवाही हेतु कोई भवन एवं विधुत की व्यवस्था नही होने से डिटेनशुदा आरोपी ललित कुमार व जप्तशुदा आर्टिकल्स एवं रिश्वत राशि के लिफाफें मय जाप्ता मय गवाह के अग्रिम कार्यवाही हेतु मौके से रवाना होकर पास ही स्थित ग्राम पंचायत बडा नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के भवन पहुंचा, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी से कार्यवाही की मौखिक अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात कार्यवाही के अनुक्रम में स्वतंत्र गवाहान श्री भरत लाल गुर्जर से आरोपी ललित कुमार की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेंट की जेब से एक मोबाईल मोटोरोला कम्पनी का मिला जिसमें आरोपी द्वारा दो सिमें उपयोग में लेना बताया एक सिम के नम्बर [redacted] एवं दूसरी सिम के नम्बर [redacted] होना बताया। उक्त मोबाईल से परिवादी एवं आरोपी के मध्य ट्रेप कार्यवाही से पूर्व बातचीत होना सामने आया है अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एम अंकित किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी की पेंट की जेब में एक काले रंग का पर्स मिला जिसमें, 30 रूपये नगद, आरोपी का आधार कार्ड, श्रम कार्ड, पेन कार्ड की प्रति, एसबीआई का एटीएम कार्ड, बैंक ऑफ बडौदा का एटीएम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, वाहन संख्या आरजे 08 सीएस 6741 मोटर साईकिल की आरसी की प्रति एवं एफ.ओ.एस. के पद पर कार्य करने के पहचान पत्र की प्रति मिली। उक्त दस्तावेजो को मय पर्स के सुरक्षार्थ कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी ललित कुमार एवं परिवादी महेन्द्र सिंह मीणा के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर से सरकारी लेपटॉप में लिवाया जाकर वार्ता को सुना गया तो रिकार्ड वार्ता में परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन देन की वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार किया जाना तय किया गया । कार्यवाही की विडियो रिकार्डिंग विधिक प्रावधानों के तहत स्वंतत्र गवाहो की उपस्थिति में श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 से तैयार करवाई गई थी। उक्त रिकार्डिंग जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है को सुरक्षित रखवाया गया। आरोपी ललित कुमार के कब्जे से बरामदशुदा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पुनः पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि मै फन्म् कम्पनी के अन्तर्गत काम करता हूं, उक्त कम्पनी के माध्यम से ही पिछले 02 वर्षा से एसबीआई की शाखा बडा नयागांव में एफ.ओ.एस. के पद पर कार्य कर रहा हूं। उक्त पद पर मेरे द्वारा केसीसी बनवाना एवं केसीसी का नवीनीकरण करवाना एवं विभिन्न प्रकार के लोन सम्बन्धी कार्य करता हूं। फालेण्डा निवासी चेतराम मीणा के माध्यम से फूलचन्द मीणा द्वारा उसकी जमीन पर के. एस.आर. लोन लेने के लिए आवेदन किया था, जिसकी जमीन का मौका निरीक्षण मैने व शाखा प्रबंधक द्वारा किया गया था, इसके बाद शाखा प्रबध्क द्वारा लोन की ओपचारिकताएं पूर्ण करवाकर दीपावली से करीब एक दो दिन पहले करीब 08 लाख

रूपये का लोन स्वीकृत कर दिया था। लोन स्वीकृत होने के पश्चात मैने गलती से 20 हजार रूपये मांग कर प्राप्त किये। महेन्द्र के पिताजी फूलचन्द की लोन पत्रावली में शाखा प्रबंधक के ही हस्ताक्षर होते है, मै बैंक का स्थाई कर्मचारी नही होने के कारण मेरे हस्ताक्षर नही होते है। फूलचन्द की लोन पत्रावली मैने मेरे हाथ से तैयार की थी। इस प्रकार आरोपी ललित कुमार पाराशर पुत्र श्री गणपत पाराशर उम्र 24 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी सिलोर थाना सदर जिला बून्दी हाल फील्ड ऑफिसर ऑन साईट (एफ ओ एस) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बडा नया गांव जिला बून्दी द्वारा परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा पुत्र श्री फूलचन्द मीणा उम्र 24 साल निवासी फालेण्डा ग्राम पोस्ट देवजी का थाना थाना हिण्डोली जिला बून्दी से उसके पिताजी के नाम स्थित कृशि भूमि पर (के.एस.आर) किसान समृद्वि ऋण स्वीकृत करवाने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर प्राप्त किये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि 20 हजार रूपये आरोपी के दाहिनें हाथ से बरामद हुई है आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय अपराध पाया गया। रिश्वत राशि बरामदगी एवं कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी ललित कुमार पाराशर को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.09.2024 प्रथम व दिनांक 28.10.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय व दिनांक 04.11.2024 की रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी ललित कुमार पाराशर को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी ललित कुमार पाराशर ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में पेश किया कि "मैं अपनी स्वैच्छा से आवाज का नमूना नही देना चाहता हू।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। शाखा प्रबंधक बडा नयागांव जिला बून्दी से आरोपी ललित कुमार पाराशर का सेवा विवरण एवं परिवादी के पिता फूलचन्द मीणा की लोन पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति कुल 17 वर्क प्राप्त हुई। प्राप्त सेवा विवरण में आरोपी का पद फीट ऑन स्ट्रीट (एफ ओ एस) होना अंकित है। प्राप्त सेवा विवरण एवं लोन पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रतियां को शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी ललित कुमार पाराशर पुत्र श्री गणपत पाराशर उम्र 24 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी सिलोर थाना सदर जिला बून्दी हाल फीट ऑन स्ट्रीट (एफ ओ एस) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बडा नया गांव जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। जामा तलाशी में मिली सामग्री को सुरक्षार्थ कब्जे ब्यूरो रखा गया। परिवादी श्री महेन्द्र तथा आरोपी ललित कुमार के मध्य दिनांक 19.09.2024 को हुई रिश्वत मांग वार्ता प्रथम जो डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी महेन्द्र सिहं से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी ललित कुमार की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि 416 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। परिवादी श्री महेन्द्र तथा आरोपी ललित कुमार के मध्य दिनांक 28.10.2024 को हुई रिश्वत मांग वार्ता द्वितीय जो डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी महेन्द्र सिहं से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी ललित कुमार की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि 416 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। परिवादी श्री महेन्द्र तथा आरोपी ललित कुमार के मध्य दिनांक 04.11.2024 को हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी महेन्द्र सिहं से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी ललित कुमार की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि 416 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। ग्राम पंचायत बडा नयागांव का कार्यालय समय समाप्त होने से मौके की कार्यवाही के बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी ललित कुमार को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर एसबीआई बैंक की शाखा बडा नयागांव पहुंचा। जहां पर मन् उप पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी महेन्द्र सिंह की निशादेही पर दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि बरामदगी स्थल एवं ट्रेप कार्यवाही विवरण का नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। बाद कार्यवाही के मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी ललित कुमार को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से एसबीआई बैंक शाखा बडा नयागांव से रवाना हो एसीबी कार्यालय बून्दी पहुंचा एवं कार्यवाही में जप्त रिश्वत राशि मय आर्टिकल्स को मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि. 106 के जरिये जमा मालखाना करवाया गया। आरोपी को जाप्ते की निगरानी में बैठाया गया। परिवादी श्री महेन्द्र सिंह तथा आरोपी ललित कुमार के मध्य दिनांक 19.09.24 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन

वार्ता प्रथम जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है व दिनांक 28.10.2024 को दूसरी बार हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है तथा दिनांक 04.11.2024 को हुई वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है सहित कुल 3 रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी महेन्द्र सिंह द्वारा ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। उक्त तीनां वार्ताऐं जो मूल मैमारी कार्ड में रिकार्ड है। श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से मूल मैंमोरी कार्ड में रिकार्ड तीनों वार्ताओं को 03 पेन ड्राईव कार्ड में पृथक-पृथक डब्ड (ब्वचल) किया गया। एवं कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई एवं मूल मैमोरी कार्ड एवं डब्डशुदा पेन ड्राईव की हैश वेल्यू श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि 416 से निकलवा कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी ललित कुमार पाराशर पुत्र श्री गणपत पाराशर उम्र 24 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी सिलोर थाना सदर जिला बून्दी हाल फीट ऑन स्ट्रीट (एफ ओ एस) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बडा नया गांव जिला बून्दी द्वारा परिवादी महेन्द्र सिहं से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के उपरांत बरामदगी की कार्यवाही की विडियो रिकोर्डिंग श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में स्वंय के मोबाईल में लगे सरकारी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। जिसे सरकारी लेपटॉप के माध्यम से मूल मैमोरी कार्ड से 02 पृथक-पृथक पेन ड्राईव में लिया जाकर डब्ड किया गया है। उक्त मूल मैमोरी कार्ड व डब्डशुदा दोनो पेन ड्राईव को पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कार्यवाही की फर्द तैयार की गई। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी ललित कुमार पाराशर पुत्र श्री गणपत पाराशर उम्र 24 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी सिलोर थाना सदर जिला बून्दी हाल फीट ऑन स्ट्रीट (एफ ओ एस) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बडा नया गांव जिला बून्दी द्वारा परिवादी महेन्द्र सिहं मीणा से उसके पिताजी फूलचन्द जी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज भूमि पर किसान समृद्वि ऋण योजना के तहत 15 लाख रूपये का लोन स्वीकृत करवाने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 18.09.24 को एसीबी चौकी बून्दी पर लिखित रूप में प्रस्तुत की गई। उपरोक्त प्राप्त शिकायत का दिनांक 19.09.24 को प्रथम एवं दिनांक 28.10.2024 को द्वितीय गोपनीय सत्यापन करवाने पर आरोपी द्वारा परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत मांग करने की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया। सत्यापन उपरान्त दिनांक 04.11.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया । ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी ललित कुमार पाराशर पुत्र श्री गणपत पाराशर उम्र 24 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी सिलोर थाना सदर जिला बून्दी हाल फीट ऑन स्ट्रीट (एफ ओ एस) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बडा नया गांव जिला बून्दी को परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मीणा से उसके पिताजी फूलचन्द जी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज भूमि पर किसान समृद्वि ऋण योजना के तहत लोन स्वीकृत करवाने की एवज में 20,000 रूपये रिश्वत प्राप्त करने के पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बडा नया गांव जिला बून्दी के बाहर परिसर में रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वत राशि आरोपी के दाहिनें हाथ से बरामद की गई है। आरोपी के दोनों हाथों धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ है। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी ललित कुमार पाराशर पुत्र श्री गणपत पाराशर उम्र 24 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी सिलोर पुलिस थाना सदर जिला बून्दी हाल फीट ऑन स्ट्रीट (एफ ओ एस) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बडा नया गांव जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध प्रथम दृश्ट्या प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेशित है। (ज्ञानचन्द) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री ललित कुमार पाराशर पुत्र श्री गणपत पाराशर उम्र 24 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी सिलोर थाना सदर जिला बून्दी हाल फीट ऑन स्ट्रीट (एफ ओ एस) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बडा नया गांव जिला बून्दी राज. के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय कुमार स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 25 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1357-60 दिनांक 05-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- प्रभारी QUESS CORP.LTD. B-1/1-1,FIRST FLOOR,Mohan Industrial Estate,Near Badarpur Border New Delhi-110044,India। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी। उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vijay Kumar Swarnkar **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/11/2024 19:[illegible]

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/10/2001				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)